



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

दिशा निर्देश – Guideline

राष्ट्रीय लोक अदालत – 10.04.2021

दिनांक – 29.01.2021

A. ऑनलाइन लोक अदालत आयोजन की प्रक्रिया व पद्धति:-

(Mode & Method for Online Lok Adalat)

1. प्रकरण जो ऑनलाइन लोक अदालत हेतु चिन्हित किए जा सकते हैं;

(Cases, may be identified for Online Lok Adalat)–

(A) प्री-लिटिगेशन प्रकरण (Pre-Litigation Cases) –

- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- धन वसूली के प्रकरण।
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण।
- अन्य प्रकरण (दाण्डिक शमनीय एवं अन्य सिविल प्रकरण)

(B) न्यायालय में लंबित प्रकरण (Cases pending in Court)–

- दाण्डिक शमनीय प्रकरण।
- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- धन वसूली के प्रकरण।
- एम.ए.सी.टी. के प्रकरण।
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)।
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण (सिविल न्यायालय/अधिकरण में लंबित)।
- मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले।
- राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित),
- अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि।

2. न्यायालय में लंबित प्रकरण, निम्न प्रकार से चिन्हित किए जा सकते हैं;

(Pending cases, may be identified by following method) –

- ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में स्वयं न्यायालय का यह मत हो कि पक्षकारों में राजीनामा की संभावना है।
- ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में बैंक/बीमा कम्पनी या एक पक्षकार आवेदन करे।
- ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में दोनों पक्षकारों/अधिवक्तागण ने आवेदन किया हो।

चिन्हीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया—पक्षकार/अधिवक्ता न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पक्षकार/अधिवक्ता संबंधित न्यायालय के ई-मेल, व्हाट्सएप या मोबाईल नम्बर पर कॉल करके भी आवेदन कर सकते हैं।

3. न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में दोनों पक्षकारों की ऑनलाइन सहमति प्राप्त करना; (Obtaining consent of both parties by Online Process)—

- ऐसे प्रकरण, जिन्हें संबंधित न्यायालय द्वारा स्वतः चिन्हित किया गया हो, उन सभी प्रकरणों में दोनों पक्षकारों/उनके अधिवक्तागण को संबंधित न्यायालय के स्टाफ द्वारा ई-मेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके राजीनामा करने हेतु सहमति प्राप्त की जा सकती है।
- ऐसे प्रकरण, जिनमें बैंक/बीमा कम्पनी या एक पक्ष द्वारा आवेदन किया गया हो, उन सभी प्रकरणों में विरोधी पक्षकार को न्यायालय के स्टाफ द्वारा ई-मेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके राजीनामा करने हेतु सहमति प्राप्त की जा सकती है।
- उक्त सहमति प्राप्त प्रकरणों की सूचना संबंधित न्यायालय द्वारा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को समय-समय पर संप्रेषित की जाएगी और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रालसा को समय-समय पर प्रेषित की जाएगी।

4. न्यायालय द्वारा वाद सूची तैयार करना; (Preparation of Cause List by Courts)—

- न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणों के संबंध में राजीनामा करने की सहमति प्राप्त की गई है, उन सभी प्रकरणों के संबंध में न्यायालय के रीडर द्वारा प्रतिदिन अधिकतम 10 प्रकरण की कॉज लिस्ट सुलह वार्ता (Pre-Counselling) कराने हेतु तैयार की जाएगी।
- यह कॉज लिस्ट न्यायालय की नियमित कॉज लिस्ट से पृथक् तैयार होगी।
- यह कॉज लिस्ट प्री-काउंसलिंग कराये जाने की तारीख से एक दिन पूर्व तैयार की जाकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा पक्षकारों व उनके अधिवक्तागण को प्री-काउंसलिंग की दिनांक व समय की सूचना कम से कम एक दिन पहले ई-मेल/व्हाट्सएप पर अथवा मोबाईल पर सम्पर्क करके दी जाएगी।
- सुविधा की दृष्टि से (Pre-Counselling) के लिए प्रकरण मध्याह्न पश्चात् रखा जाना उचित रहेगा, जिससे न्यायालय का नियमित कार्य बाधित ना हो।

5. ऑनलाइन सुलह वार्ता; (Online Pre-Counselling) —

- न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों व उनके अधिवक्तागण के मध्य आपस में ऑनलाइन/ऑफलाइन सुलह वार्ता कराई जाएगी।
- पीठासीन अधिकारी ऑनलाइन सुलह वार्ता के लिए All in one Computer/Laptop/I-pad/Smartphone आदि का प्रयोग कर सकेंगे।
- Whatsapp Call/Zoom/Webex आदि किसी भी माध्यम से ऑनलाइन सुलह वार्ता करवाई जा सकती है।
- प्री-काउंसलिंग 15 मार्च, 2021 से 09 अप्रैल, 2021 तक करवाई जाएगी।
- प्री-काउंसलिंग कराने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म की तैयारी व तकनीकी व्यवधान दूर करने के लिए जिला मुख्यालय पर उपलब्ध सिस्टम ऑफिसर की सहायता प्राप्त की जा सकेगी।
- ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान पक्षकारों व उनके अधिवक्तागण को न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑफलाइन

- प्री-काउंसलिंग की दशा में पक्षकार प्री-काउंसलिंग के समय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, परन्तु ऐसी उपस्थिति के समय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
- (g) ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के पश्चात् पक्षकारों के मध्य समझौता होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा तदनुसार राजीनामा टाईप कराया जाकर उक्त राजीनामा की PDF Form में अथवा Scanned Copy पक्षकारों या/एवं अधिवक्तागण को ई-मेल या Whatsapp द्वारा संप्रेषित की जाएगी। उभयपक्षकारान उक्त प्रति का प्रिन्ट निकलवाकर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् पुनः न्यायालय को जरिये ई-मेल या Whatsapp द्वारा संप्रेषित करेंगे।
- (h) ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान स्वयं के स्तर पर राजीनामा टाईप कराने हेतु सहमत होने की स्थिति में उभयपक्षकारों द्वारा भी राजीनामा टाईप व परस्पर हस्ताक्षरित कर न्यायालय की ई-मेल/व्हाट्सएप पर संप्रेषित किया जा सकेगा।
- (i) ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग की स्थिति में पक्षकारान् अथवा उनके अधिवक्तागण को हस्ताक्षरित मूल राजीनामा (पैरा संख्या g व h में वर्णित) हर सूरत में लोक अदालत की दिनांक 10.04.2021 से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित करना होगा। न्यायालय दोनों पक्षों/अधिवक्तागण द्वारा भेजे गये राजीनामा के सम्बन्ध में पक्षकारों/अधिवक्तागण से ऑनलाइन वार्ता करके राजीनामा होने के तथ्य की संपुष्टि करेगा। तत्पश्चात् राजीनामा मय पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच को प्रेषित की जाएगी।
- (j) ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान यदि पक्षकार व उनके अधिवक्तागण न्यायालय को यह निवेदन करते हैं कि वे अपनी सुविधानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.04.2021 से पूर्व किसी भी दिन न्यायालय में उपस्थित होकर ही राजीनामा पर भौतिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे, तो न्यायालय पक्षकारों के न्यायालय में उपस्थित आने पर ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान तय शर्तों के अनुरूप राजीनामा पर पक्षकारों के हस्ताक्षर करायेगा और तत्पश्चात् राजीनामा मय पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच को प्रेषित की जाएगी।
- (k) किसी प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों में एक से अधिक बार समझाईश की आवश्यकता है, तो संबंधित न्यायालय ऐसे प्रकरण को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करते हुए प्री-काउंसलिंग बेंच के गठन हेतु निवेदन कर सकता है। तत्पश्चात् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्री-काउंसलिंग बेंच का गठन किया जाएगा। इस संबंध में प्री-काउंसलिंग हेतु रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी/अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत की सेवाएं ले सकेंगे।

6. लोक अदालत हेतु बेंच का गठन; (Constitution of Lok Adalat Benches) –

- (a) अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की पर्याप्त संख्या में बेंचों का निम्नानुसार गठन किया जाएगा:–
- | | | |
|---------|---|-----------------|
| अध्यक्ष | – | न्यायिक अधिकारी |
| सदस्य | – | वरिष्ठ अधिवक्ता |
- (b) प्रत्येक बेंच के लिए आवश्यकतानुसार एक स्टेनोग्राफर, एक कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाला कनिष्ठ लिपिक व एक सहायक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाना उचित होगा। आवश्यकता हो तो एक रीडर की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है।
- (c) राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के लिए All in one Computer/Laptop/I-pad/Smart Phone की उपलब्धता होना आवश्यक है।

- (d) तकनीकी तौर पर व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला न्यायालय में उपलब्ध सिस्टम ऑफिसर व सिस्टम असिस्टेंट की सेवाएं प्राप्त की जा सकेगी।
- (e) बैंच चाहे तो दिनांक 10.04.2021 को भी पक्षकारों/अधिवक्तागण से ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकेगी।
- (f) बैंच के समक्ष दिनांक 10.04.2021 को पक्षकारों/अधिवक्तागण द्वारा ऑफलाइन राजीनामा भी पेश किया जा सकता है लेकिन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

7. प्री-लिटिगेशन मामलों के संबंध में; (Regarding Pre-Litigation Cases)–

बैंक/विभाग/पक्षकार द्वारा प्री-लिटिगेशन का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के समक्ष ऑनलाइन/ऑफलाइन पेश किया जा सकेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विरोधी पक्षकार को डिजिटल नोटिस जारी कर प्री-काउंसलिंग करा कर प्रकरण का निस्तारण करवाया जाएगा। प्री-काउंसलिंग सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

B. ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन की प्रक्रिया व पद्धति:– (Mode & Method for Offline National Lok Adalat)–

1. प्रकरण जो राष्ट्रीय लोक अदालत (ऑफलाइन) हेतु चिन्हित किए जा सकते हैं;
(Cases, may be identified for National Lok Adalat - Offline)–

(A) प्री-लिटिगेशन प्रकरण (Pre-Litigation Cases) –

- 1) धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- 2) धन वसूली के प्रकरण।
- 3) श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- 4) बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- 5) भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण।
- 6) अन्य प्रकरण (दाण्डिक शमनीय एवं अन्य सिविल प्रकरण)

(B) न्यायालय में लंबित प्रकरण (Cases pending in Court)–

- 1) दाण्डिक शमनीय प्रकरण।
- 2) धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- 3) धन वसूली के प्रकरण।
- 4) एम.ए.सी.टी. के प्रकरण।
- 5) श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- 6) बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- 7) वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)।
- 8) भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण (सिविल न्यायालय/अधिकरण में लंबित)।
- 9) मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले।
- 10) राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित),
- 11) अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि।

2. ऑफलाइन प्री-काउंसलिंग के समय पक्षकारों के मध्य समझौता होने की स्थिति में पीटासीन अधिकारी द्वारा उसी समय राजीनामा टाईप कराया जाकर राजीनामा मय पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच को प्रेषित की जाएगी।
3. ऑफलाइन लोक अदालत के लिए पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में उपयोग में ली गयी प्रक्रिया व पद्धति ही काम में ली जावेगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions) –

- (a) राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी विभागों, निगमों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कम्पनियों, अधिवक्तागण, पक्षकारान व अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग की अपेक्षा है परन्तु किसी भी प्रकार की कठिनाई या परेशानी होने पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उपलब्ध हेल्पलाईन नंबर पर किसी भी समय में सम्पर्क किया जा सकता है या व्हाट्सएप या ई-मेल के जरिए संदेश भेजा जा सकता है।
- (b) राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों, वित्तीय संस्थानों व अन्य कम्पनियों व संस्थानों के ऐसे प्रकरणों को सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया जाये, जिनमें धन वसूली अर्थात भुगतान के जरिए विवाद का निस्तारण हो सकता हो, परन्तु प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में ऐसे प्रकरण सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें विधि अनुसार डिक्री पारित नहीं हो सकती हो।
- (c) प्री-लिटिगेशन के जरिए राजीनामा सत्यापित करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि विधि विरुद्ध पंचाट या आदेश पारित न हो पाए।
- (d) पक्षकारों व उनके अधिवक्तागण के न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

आज्ञा से

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।